कार्यालय कलेक्टर, (पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण शाखा)
जिला–जशपुर (छ.ग.)

–:: प्रेस विज्ञप्ति ::–

क्रमांक / 139 /अभि./अति.सं.शि.नि./2020–21   जशपुर, दिनांक :– 26/12/2020

सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ–13–19/2012/आप्र/1–3 नवा रायपुर दिनांक 08.11.2019 के द्वारा जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति समुदायिक शिक्षित बेरोजगारों को शासकीय नौकरी दिये जाने के निर्देश के पालन में जशपुर जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा, बिरोहर एवं कोरवा जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों को जिला खनिज न्यास निधि से प्राप्त आबंटन के आधार पर शिक्षा विभाग के 40 प्राथमिक शाला एवं 10 माध्यमिक शालाओं में कुल 50 संस्थाओं में रिक्त पदों पर प्रति संस्था 01 अथिति शिक्षक को शिक्षा सत्र 2020–21 के लिए अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान किया जाना है। इच्छुक अभ्यार्थियों दिनांक 15.01.2021 तक अपने विकास खण्ड के जनपद कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

अतिथि शिक्षक नियुक्त किये जाने मापदण्ड :–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगा। शासन द्वारा रिक्त पदों पर नियुक्ति होने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं तहसीलदार द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
4. सर्वेक्षित पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर परिवार का सदस्य होना अनिवार्य है।
5. प्राथमिक स्तर के शिक्षक हेतु न्यूनतम हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षक हेतु न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
6. अतिथि शिक्षक हेतु परीक्षा परिणाम एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने पर उसी संस्था में आगामी शैक्षणिक सत्र् के लिए नियुक्ति , चयन समिति की अनुशंसा पर कलेक्टर महोदय द्वारा की जावेगी।
7. नियमानुसार महिला हेतु आरक्षण लागू होगा।
8. नियुक्त किये गये अतिथि शिक्षकों का 10 दिवस का प्रशिक्षण शिक्षा विभाग द्वारा कराया जायेगा।

मानदेय भुगतान :–

अतिथि के रूप में नियुक्त प्राथमिक स्तर के शिक्षक को 10,000/–(रूपये दस हजार मात्र) एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को 12,000/–(रूपये बारह हजार मात्र)

D/Atithi Sikshak/Vigyapan.docx

प्रतिमाह एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

<u>अन्य शर्तें :–</u>

9. अतिथि शिक्षक मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है, अतः किसी प्रकार का कोई नियमानुसार नियुक्ति/पदस्थापना आदेश जारी नहीं किये जायेंगे, अपितु चयनित होने के उपरान्त संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण कराने के औपचारिक निर्देश दिये जायेंगे।
10. शाला में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था नियमित शिक्षक के पदभार ग्रहण करने तक प्रभावी होगी। नियुक्ति प्राप्त आवेदनों की मेरिट सूची तैयार कर किया जावेगा।
11. चयनित अभ्यर्थी को 15 दिवस के अन्दर संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में मेरिट सूची के आगामी अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान किया जायेगा।
12. आकस्मिक अवकाश एवं शासकीय अवकाश के अलावा अन्य किसी अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
13. अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक व्यवस्था कभी भी जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
14. अतिथि शिक्षकों की अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी, साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का भी पालन करेंगे।
15. अतिथि शिक्षक के विद्यालय चयन का अधिकार जिला स्तरीय समिति के पास होगा।
16. विवाद की स्थिति में कलेक्टर जशपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

सदस्य सचिव/परियोजना अधिकारी
कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण
जिला–जशपुर (छ.ग.)

अतिथि शिक्षक नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन का प्रारूप :–

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत ....

प्राथमिक स्तर / माध्यमिक स्तर :–...

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता / पति का नाम ....
3. वर्तमान पता ....
....
....
4. स्थाई पता ....
(निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....
5. जति (जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....
6. रोजगार पंजीयन क्रमांक ....
7. मोबाईल नम्बर ....
8. जन्म तिथि ....
(प्रमाणन हेतु हाईस्कूल का अंकसूची संलग्न करें) ....
9. शैक्षणिक योग्यता :–
(हायर सेकेण्डरी / स्नातक / स्नातकोत्तर की अंकसूची संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक / कुल अंक	प्रतिशत	श्रेणी

10. पूर्व अनुभव का विवरण (यदि हो)

क्र.	संस्था का नाम	कार्य का प्रकार	अवधि

हस्ताक्षर

नाम :–...

पता :–...